न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 01/13 निर्णय दिनांकः– 18–02–2020
(आरसीएमएस संख्या 2013/00074)

1. नबी मोहम्मद
2. शमसुदीन
3. अब्दुल रहमान
4. आलम खातुन(मृतक)
4/1. मो. रमजान
4/2. बिस्मिल्ला
4/3. हमीदा बानो
5. रहीमा (मृतक)
5/1. मो. अमीन
5/2. मो. सलीम
5/3. मो. जमीर
5/4. शकीला
5/5. रहीसा बानो
5/6. रजिया बानो

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 28–09–2012
उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

उपस्थिति –
1. श्री सन्तनाथ, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के आदेश दिनांक 28–09–2012 जिसके द्वारा अपीलांट्स का संशोधन आवंटन आदेश जारी करने का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में भू–राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस् ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स के पिता के नाम से तहसील बीकानेर के चक 10 जेएमडी के मुरब्बा नम्बर 69/10 के किला नम्बर 11 में 01 बीघा भूमि का स्माल पेच आवंटन दिनांक 24–07–2007 को किया गया था। उक्त आवंटन के पश्चात् तमाम किश्तें अपीलांट्स द्वारा ही जमा करवाई गई थी। प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा दिनांक 28–09–2012 को अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि का आवंटन आदेश उनके पिता शकुर खॉं के नाम से जारी किया गया है। जबकि उनके पिता शकुरखॉं का स्वर्गवास दिनांक 18–06–1986 को ही हो गया था। ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन आदेश शकुर खॉं के वारिसान के नाम से जारी किया जावे।

उन्होनें आगे बताया कि प्रकरण में यह निर्विवाद है कि उक्त भूमि अपीलांट्स के पिता को आवंटित भूमि थी। यदि यह स्वीकार भी कर लिया जावे कि अपीलांट् के पिता को मृत्यु उपरान्त आवंटन किया गया है तब भी उक्त भूमि उनके जायज वारिसान के हक व हिस्से में ही निहित होनी थी। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट्स के हितों पर कुठाराधात किया गया है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश पूर्णतया विधि विरूद्व तथा मौके की स्थिति के विपरीत जाकर पारित किये गये आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

उन्होंने मियांद के संबंध में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियांद शुमार की जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वादग्रस्त भूमि का आवंटन अपीलांट्स के पिता को मृत्यु उपरान्त किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन मृत व्यक्ति के विरूद्व होना साबित है। अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गइ है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में जहॉं तक मियांद का प्रश्न है, अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–09–2012 के विरूद्व अपील दिनांक 21–11–2012 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके

अधिकारी
बीकानेर

खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा काऊण्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अपीलांट्स के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपीलांट्स की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि चक 10 जेएमडी के मुरब्बा नम्बर 69/10 के किला नम्बर 11 में 01 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन अपीलांट्स के पिता के नाम से दिनांक 24—07—2007 को जारी किया गया था। आवंटन पश्चात् वादग्रस्त भूमि के बाबत् दिनांक 06—08—2007 को जरिये जीए 55 रसीद संख्या 000082 के द्वारा जमा राशि 7250/— शकुर खॉ के नाम से जारी की गई है, इसी प्रकार वादग्रस्त भूमि के बाबत् जारी चालान संख्या 115/06—08—2008, 153/03—08—2009 व अदालत मातहत द्वारा समय—समय पर जारी किये गये चालान भी समय—समय पर अपीलांट्स द्वारा जमा करवाये गये है। प्रकरण में इस तथ्य को स्वीकार भी कर लिया जावे कि वादग्रस्त भूमि का आवंटन अपीलांट्स के पिता के नाम से जारी किया गया था। ऐसीस्थिति में चूंकि वादग्रस्त भूमि के आवंटन की तमाम प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। लिहाजा उक्त भूमि मल आवंटी शकूरखॉ के जायज वारिसान अर्थात अपीलांट्स के नाम से हस्तान्तरित होनी है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा भी इस तथ्य की जॉच नहीं की गई तथा मृत व्यक्ति के विरूद्व आवंटन आदेश जारी किया गया तथा कालान्तर में उक्त आवंटन की एवज में तमाम किश्तें भी जमा करवाई जाती रही है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा कारित की गई भूल का खामियाजा अपीलांट्स को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28—09—2012 निरस्त किया जाता है व प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि के मूल आवंटी शकुर खॉ पुत्र रूकनदीन खॉ के वारिसान की जॉच करते हुए, सही पाये जाने पर संशोधन आवंटन आदेश जारी करें।

8. निर्णय आज दिनांक 18—02—2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सोंकरिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.02.24 17:35:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: